रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 101] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई, 23, 1971/श्रावण 1, 1893
No. 101] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 23, 1971/SRAVANA 1, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICES

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 23rd July 1971

SUBJECT :—*Import policy for Registered Exporters for the period April, 1971—March 1972 (Amendment No. 14).*

No. 88—ITC (PN)/71.—Attention is invited to the Import Policy for Registered Exporters contained in the Import Trade Control Policy Book (Vol. II) for the period April, 1971—March 1972, issued under the Ministry of Foreign Trade Public Notice No. 44—ITC (PN) /71 dated 30-4-1971.

2. Under Public Notice No. 70—ITC (PN) /71 dated the 28th June 1971 revised para 2 of Part B of Section I of Volume II was announced. It has been decided that the said para may be substituted by the following :—

"2. Exports to Nepal, Sikkim, Bhutan will not qualify for import replenishment, as also exports to Afganistan if made otherwise than against payment in free Foreign Exchange. Exports under Barter deals or under Trade Promotion Agreements between Public Sector Agencies in India and importers in other countries will also not qualify for replenishment unless there is a specific provision in the relevent Barter Deal or such Trade Promotion Agreements for grant of replenishment."

विदेश व्यापार मंत्रालय

आयात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचनाएं

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 1971

विषय :—अप्रैल, 1971-मार्च, 1972 अवधि के लिए पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति संशोधन संख्या . 14)

सं० 88-आई० टी० सी० (पी० एन०)/71.—(1) विदेश व्यापार मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 44-आई टी सी (पी एन)/71, दिनांक 30-4-71 के अन्तर्गत अप्रैल, 1971 मार्च, 1972 अवधि के लिए जारी की गई आयात व्यापार नियंत्रण नीति पुस्तक (वा०-2) में पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

2. सार्वजनिक सूचना संख्या 44-आई टी सी (पी एन) / 71 दिनांक 28 जून, 1971 के अन्तर्गत वा० 2 के खण्ड 1 के भाग बी की संशोधित कंडिका 2 की घोषणा की गई थी । यह निश्चय किया गया है कि उक्त कंडिका को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए :—

"2. नेपाल सिक्किम, भूटान को किए गए निर्यातों के लिए आयात आपूर्ति नहीं दी जाएगी और उसी प्रकार मुक्त मुद्रा विनिमय में भुगतान के सदे अन्यथा रूप से यदि अफगानिस्तान को निर्यात किया जाता है तो उसके लिए भी आयात आपूर्ति नहीं दी जाएगी । वार्टर डील के अन्तर्गत अथवा व्यापार संवर्धन करारों के अन्तर्गत भारत स्थित सार्वजनिक क्षेत्र अभिकरणों और अन्य देशों के आयातकों के बीच किए गए निर्यातों के लिए भी तब तक आपूर्ति के लिए योग्य नहीं होगा जब तक संबंधित वार्टर डील या इस प्रकार के व्यापार संवर्धन करारों में आपूर्ति प्रदान करने के लिए विशेष व्यवस्था नहीं कर दी जाती ।"

SUBJECT :—*Import policy for Registered Exporters for the year April, 1971—March 1972 (Amendment No. 15).*

No. 89—ITC (PN)/71.—Attention is invited to the Import Policy for Registered Exporters contained in the Import Trade Control Policy Book (Vol II.) for the period April, 1971—March 1972—issued under the Ministry of Foreign Trade Public Notice No. 44—ITC (PN)/71 dated 30-4-1971.

2. The following amendments may be made at the appropriate places as indicated below :—

	Page No. of the Red Book (Vol. II.)	Reference	Amendments
1.	117 . . .	A. 106.2 / Col. 4	The face value restriction of 10% shown against (h) may be deleted.
2.	140 . . .	A. 171.2 / Col. 3	he existing percentage may be amended to read as 30%.

NOTE :—This amendment will be applicable to exports made on or after 1-7-71.

3.	180 . . .	B. 69.1 /Col. 4	The existing entry (b) may be corrected to read as under :— "(b) Polyester film, Cellulose Acetate film Panchromatic quality photographic materials, Orthochloromatic quality photographic materials, separation negative pan photographic materials, zinc sheets or plates including zinc sheets for block making, copper plates, lino and mono matals printing tvpe, printing materials binding cloth, highly polished aluminium plates for offset printing ."
4.	187—188. . .	C. 22 / Col 4	Tbe existing entry (p) may be amended to read as under :— "(p) Abrasive slitting wheels— Diameter 4"×6" with thickness 0·004" to 0·007".

M. M. SEN,
Chief Controller of Imports and Exports.

विषय :—अप्रैल, 1971 मार्च, 1972 अवधि के लिए पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति (संशोधन सं० 15).

सं० 89-आई० टी० सी० (पी० एन०)/71.—विदेश व्यापार मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 44-आई टी सी (पी एन)/71, दिनांक 30-4-71 के अन्तर्गत अप्रैल, 1971-मार्च 1972 अवधि के लिए जारी की गई आयात व्यापार नियंत्रण नीति पुस्तक (वा० 2) में पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

2. निम्नलिखित संशोधन नीचे निर्दिष्टानुसार उचित स्थानों पर किए जाएं :—

रैड बुक (वा० 2) की पृष्ठ सं०	संदर्भ	संशोधन
1	2	3
1. 117	ए.106.2 ——— कालम-4	(एच) के सामने प्रदर्शित 10 प्रतिशत की अंकित मूल्य प्रतिबंधता को हटाया जाए।
2. 140	ए.171.2 ——— कालम-3	वर्तमान प्रतिशत को 30 प्रतिशत के रूप में पढ़ने के लिए संशोधित किया जाए।
	टिप्पणी :—यह संशोधन 1-7-1971 को या उसके बाद किए गए निर्यात के लिए लागू होगा।	
3. 180	बी.69.1 ——— कालम-4	वर्तमान प्रविष्टि (बी) को निम्नप्रकार से पढ़ने के लिए सुधारा जाए :— "(बी) पालिएस्टर फिल्म, सेलूलोज एसिटेट फिल्म पैंक्रामेटिक क्वालिटी फोटोग्राफ सामग्री, आर्थोक्लोरोमेटिक क्वालिटी फोटोग्राफ सामग्री, सेपरेशन निगेटिव पैन, फोटोग्राफ सामग्री, जिंक शीट्स या ब्लाक बनाने के लिए जिंक सहित प्लेटें, कापर प्लेटें, लिनो तथा मोनो मेटल, छापने के टाइप छापे की सामग्री जिल्दसाजी के कपड़े, आफ सेट प्रिंटिंग के लिए अत्यधिक चमकीले आल्यूमीनियम प्लेटें।"

1	2	3
4. 187-185	सी.22 ——— कालम 4	वर्तमान प्रविष्टि (सी) को निम्नप्रकार से पढ़ने के लिए संशोधित किया जाए :— "(पी) 0.004" से 0.007" मोटाई वाले 4"—6" व्यास के अपघर्षी चीरे हुए पहिए।"

एम० एम० सेन,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971